अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध वाद संख्या–19/07-08/09/09

राज्य बनाम ग्लोब स्टील फैक्ट्री

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
21/12/13.	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत अभिलेख प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, रामगढ़ के पत्रांक–177, दिनांक–01.03.2011 के माध्यम से उपायुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्राप्त हुआ है। जिसे सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस देकर इसकी सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद मौजा–रउता, थाना सं0–146, खाता सं0–29, प्लॉट सं0–325, रकवा–39.60 एकड़ मध्ये 2.00 एकड़ से संबंधित है। विपक्षी निबंधित कम्पनी है तथा विधिवत् जाँचोपरांत प्रश्नगत् भूमि पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई है। इनका यह भी कहना है कि द्वितीय पक्ष को केवाला सं0–13435/2004 द्वारा प्रश्नगत् मौजा– रउता, थाना सं0–146, खाता सं0–29, प्लॉट सं0–325, रकवा–39.60 एकड़ मध्ये 2.00 एकड़ भूमि विक्रेता भुनेश्वर राय, अनील राय एवं अशोक राय सभी का साकिन ग्राम–नईसराय से खरीदगी प्राप्त है। तत्पश्चात् उक्त खरीदगी भूमि पर दखल कब्जा में रहते हुए अंचल अधिकारी, माण्डू के कार्यालय में दाखिल खारिज आवेदन दायर किया तथा आवेदन स्वीकृति के उपरान्त जमाबन्दी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है। इनका यह भी कहना है कि उक्त भूखण्ड से संबंधित धारा 144 द0प्र0स0 भी अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में चला, जिसमें द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा को स्वीकार किया गया है। इनका यह भी कहना है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा वाद सं0–591/61–62 में प्लॉट सं0–325, रकवा–4.30 एकड़ भूमि सीमांकन में वन सीमा से बाहर बताया गया है। इनका आगे कहना है कि बलदेव राय, महाबीर राय, जितु राय एवं भुनेश्वर राय सभी के पिता– मिथर राय के नाम से पूर्व जमीन्दार द्वारा प्लॉट सं0–395/1626, रकवा–1.25 एकड़, कुल रकवा–4.50 एकड़ भूमि बन्दोबस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व जमीन्दार को तथा जमीन्दारी उन्मूलन के उपरान्त राज्य सरकार को लगान अदा कर लगान रसीद प्राप्त किया गया है। इन्होंने उक्त वाद को संचिकास्त करने का अनुरोध किया है। प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा समर्पित कागजातों तथा अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्लोब स्टील फैक्ट्री एण्ड एलायंस प्रा0 लि0 कृते तिलक राज मेवाड़ के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0–982/04–05 के आधार पर मौजा– रउता, थाना सं0–146, खाता सं0–29, प्लॉट सं0–325, रकवा–39.60 एकड़ मध्ये 2.00 एकड़ की जमाबन्दी कायम है। यह प्रविष्टी पुरानी पंजी ॥ के पेज सं0–65/1 से लाया गया है, जिस पर मो0 सरफुद्दीन मियां का नाम दर्ज है तथा वर्ष– 1983–84 से वर्ष–2000–01 तक रसीद निर्गत है। उक्त भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है तथा खतियान में जंगल दर्ज है एवं मूल रैयत के नाम से कायम जमाबन्दी के प्राधिकृत कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। विपक्षी को संदिग्ध भूमि केवाला के माध्यम से हस्तान्तरण के उपरान्त प्राप्त हुआ है। विपक्षी का कहना है कि पूर्व जमीन्दार से बलदेव राय वगै0, पिता– मिथर राय को प्रश्नगत् भूमि बन्दोबस्ती से हासिल है, परन्तु इस सम्बन्ध में विपक्षी कोई ठोस कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। विपक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि में धारा 144 द0प्र0स0 अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में चला, जिसमें उनके दावे को सही बताया गया है। ज्ञातव्य हो कि धारा 144 द0प्र0स0 से किसी रैयत के नाम से कायम	

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

जमाबन्दी को वैध या अवैध तथा उनका दखल कब्जा को सही या गलत नहीं बताया जा सकता है।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी ग्लोब स्टील फैक्ट्री एण्ड एलायंस प्रा0 लि0 कृते तिलक राज मेवाड़ के नाम से कायम है। प्रतिवादी के कथनानुसार उक्त भूमि को निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय किया गया है एवं विधिवत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास किस्म जंगल सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी द्वारा निबंधित केवाला से क्रय किया गया है, जिसकी जमाबन्दी अंचल अधिकारी, माण्डु के दाखिल–खारिज वाद संख्या–982/04–05 के आधार पर कायम है। अंचल अधिकारी, माण्डु के द्वारा उक्त कायम जमाबन्दी के सन्दर्भ में कोई टिप्पणी नहीं किया गया है, परन्तु उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 691 दिनांक 08.08.2009 के अनुसार प्रतिवेदित भूमि की जमाबन्दी पंजी II के पृष्ट सं0 65/I से लाया गया है, जिसपर मो0 सरफउद्दीन मियाँ के नाम अंकित है तथा सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है, मूल जमाबन्दी में वर्ष 83–84 से 2000–01 तक रसीद निर्गत है। इससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, माण्डु के द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी, दखल कब्जा की स्थिति से संबंधित जाँच राजस्व कागजातों के आधार पर नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के उपरान्त अंचल अधिकारी, माण्डु को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित कायम जमाबन्दी का विधिवत स्थल एवं राजस्व कागजातों के आधार पर जाँचोपरांत अवैध/संदेहात्मक जमाबंदी के संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2884(5)/रा0 दिनांक 10.07.2018 से प्राप्त सरकार के प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड, राँची का पत्रांक 0758 दिनांक 03.07.2018 की प्रति जिसमें दिनांक 03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या–18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय **"अवैध/संदेहात्मक जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँचोपरांत रद्द करने के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेश पत्रांक–2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसे सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाय।"** के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, माण्डू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।

11/12/19
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

11/12/19
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।